न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहितR.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 106/2021

प्रार्थी:–

1. बद्रीलाल पुत्र श्री पेमाराम जाति कुम्हार उम्र 53 वर्ष निवासी सियारा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री मधुसुदन चौधरी – वकील प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक 09.07.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सियारा की राजस्व सीमा में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है – खाता संख्या 5, खसरा नम्बर 267 रकबा 4.8540 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय तथा खाता संख्या 37, खसरा नम्बर 65 रकबा 4.9430 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम। उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक संलग्न पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 267 रकबा 4.8540 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/105वां हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 65 रकबा 4.9430 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/35वां हिस्सा हैं। माफिक हक हिस्सानुसार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जो प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति में प्राप्त हुई है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, परिवार कार्ड बना हुआ है जिसमें प्रार्थी का नाम बद्रीलाल पुत्र पेमाराम दर्ज है। प्रार्थी के नाम से विद्युत संबंध लिया हुआ है जिसमें प्रार्थी का नाम बद्रीलाल पुत्र पेमाराम दर्ज है। प्रार्थी को बोलचाल की भाषा में बगदाराम नाम से भी जाना पुकारा जाता है इसलिए प्रार्थी के पिता स्व. पेमाराम के देहान्त पश्चात् राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सेवन से त्रुटिवश बगदाराम पुत्र पेमाराम दर्ज हो गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं रही। वादग्रस्त आराजी अविभाजित होने से राजस्व रेकर्ड की प्रार्थी को जानकारी नहीं रही। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी जमीन की नकल प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया इस पर दिनांक 25.10.2020 को हल्का पटवारी ने कहा कि प्रार्थी का नाम बद्रीलाल के स्थान पर त्रुटिवश बगदाराम दर्ज हो गया इसलिए राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाना पड़ेगा इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के समक्ष अपना आवेदन पेश कर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम बगदाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र पेमाराम दुरूस्त करवाने हेतु कहा इस पर अप्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय हाजा में ही प्रार्थना–पत्र पेश कर दुरूस्ती करवाने बाबत कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र रेकार्ड दुरूस्त करने हेतु पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस,

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

परिवार कार्ड एवं विद्युत बिल आदि सभी में प्रार्थी का नाम बद्रीलाल पुत्र पेमाराम दर्ज है इसलिए राजस्व रेकार्ड में सेवनसे त्रुटिवंश प्रार्थी का नाम बगदाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र श्री पेमाराम दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी को गांव के बोलचाल भाषा में बगदाराम पुत्र पेमाराम नाम से जाना पुकारा जाता है लेकिन रेकार्ड में प्रार्थी का नाम बद्रीलाल पुत्र पेमाराम है इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी ग्राम सियारा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थना–पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद पेश हों। इस्तदुआ प्रार्थी निम्न प्रकार से है– अतः प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम बगदाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र श्री पेमाराम दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें। अन्य कोई अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम सियारा के खसरा नम्बर 267 व 65 दर्ज नाम बगदाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र पेमाराम किए जाने की अनुसंशा की है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो एवं जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया । बहस पक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सियारा के खसरा नं. 267 व 65 में दर्ज नाम बगदाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र पेमाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 09.07.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)